

# ORDER SHEET

12of 2017  
B.A

THE COURT

| Date of order or Proceeding         | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer   | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|-------------------------------------|---|--|
| 30/01/2017<br>02:45 To<br>03:00 P.M | <p>आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करु द्वारा श्री मुकेश गुर्जर अधिवक्ता ।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।</p> <p>प्रकरण आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करु के जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेतु नियत है ।</p> <p>पुलिस थाना मौ के अप.क-219/2016 अंतर्गत धारा-307 भादवि. की केस डायरी प्राप्त ।</p> <p>मूल सत्रवाद क्रमांक-01/2017 निकाला गया ।</p> <p>अतः पुलिस थाना मौ के अप.क-219/2016 अंतर्गत धारा-307 भादवि. में आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करु के द्वारा प्रस्तुत धारा-439 द.प्र.सं. के नियमित जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।</p> <p>प्रपत्रों अभिलेख का अवलोकन किया ।</p> <p>आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करु के प्रथम नियमित आवेदनपत्र होने तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई आवेदनपत्र पेश ना करने और विचाराधीन व निरस्त ना होने बाबत टिल्लू का शपथपत्र पेश किया गया है, जिसपर कोई आपत्ति नहीं आयी है । इसलिये आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करु का प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है ।</p> <p>आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करु का कहना है कि आवेदक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है और जूता गांठने का कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। घटना दि० को फरियादी भी जूता चप्पल गांठने का कार्य करता था जो रोड किनारे दुकान रखता था, आवेदक व फरियादी दोनों ही मजदूरी का कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, फरियादी शराब पीने का आदी है, जिसने घटना दि० को शराब पी और आरोपी से गाली गलौच करते हुए भब्वर (ऊदम) मचा रहा था, उसी समय व नशे की हालत में अपनी दुकान पर गिर पडा जिससे उसकी स्वयं की रखी हुई कैंची उसके पेट में घुस गयी एवं आवेदक/आरोपी के विरुद्ध रंजिशन पास पास में दुकान रखने के कारण झूठी दर्ज करायी</p> |  |

गयी कि फरियादी को चाकू निकालकर मारा गया है, जबकि ऐसी कोई घटना कारति नहीं हुई है। विवेचना पूर्ण हो चुकी है एवं प्रकरण कमिट होकर विचारधीन है जिसमें समय लगने की संभावना है, वह जेल में निरुद्ध है। वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोड़ने का निवेदन किया । समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज पेश किए हैं ।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करू द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला गंभीर प्रकृति का है, आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करू को नियमित जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा, अतः उसका नियमित जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

मूल प्रकरण का अवलोकन एवं संकलित साक्ष्य के अवलोकन के आधार पर यह प्रकट होता है कि दिनांक-30/10/2016 के शाम करीब 04 बजे फरियादी अपने भांजा अजय को दुकान पर बैठाकर हैडपंप पर पानी पीने गया था, पानी पीकर वापिस अपनी दुकान के पास आकर खड़ा हुआ था कि इतने में गुहीसर का करू जाटव आया और जान से मारने की नीयत से अचानक चाकू निकालकर फरियादी के पेट में मारा जो दाहिनी तरफ लगा, घाव होकर थोड़ी आंते बाहर निकल आयीं, आरोपी करू से उसका दुकान लगाने पर से विवाद है, जिससे वह रंजिश रखता है। जिसपर से उसने फरियादी को जान से मारने की नीयत से चाकू मारा, चाकू मारने के बाद आरोपी भाग गया ।

उक्त आशय की देहाती नालिसी फरियादी बल्लू जाटव द्वारा सी.एच.सी. मौ में लेखबद्ध करायी गयी, जिसपर से प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मौ में अपराध क्र०-219/2016 धारा-307 भा.दं.वि० के अंतर्गत आरोपी/आवेदक करू जाटव के विरुद्ध पंजीबद्ध की गयी ।

प्रकरण में संलग्न एम.एल.सी. एवं इलाज/उपचार एवं ऑपरेशन से संबंधित दस्तावेजों से फरियादी बल्लू जाटव के गंभीर चोट मार्मिक स्थल पेट के दाहिनी ओर आना प्रथम दृष्टया प्रकट हो रहा है। फरियादी एवं आरोपी के मध्य पुरानी लड़ाई पर से घटना घटित होना बतायी गयी है जिसकी पुष्टि प्रकरण में संलग्न फरियादी के डी०डी० कथन से भी होती है।

जमानत के प्रक्रम पर इस संबंध में निष्कर्ष दिये जाने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करू जाटव को रंजिशन झूठा फंसाया गया है अथवा मामला प्रमाणित होगा या नहीं, इस संबंध में प्रकरण के गुणदोषों पर निराकरण के समय विचार किया जावेगा। मामला गंभीर प्रकृति का होने से भी आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करू नियमित जमानत का पात्र प्रतीत नहीं होता है ।

अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी/आवेदक रामसिया उर्फ करू की ओर से प्रस्तुत

नियमित प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-439 द.प्र.सं. गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए वगैर बाद विचार **निरस्त** किया जाता है।

एक प्रति मूल सत्रवाद प्रकरण में संलग्न की जावे।

आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न कर इस प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)